न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 17/2025
रजिस्ट्रेशन नं. :2025/19

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री मयंक जैन पुत्र श्री रमन जैन जाति जैन निवासी बांसवाडा (विक्रेता) अमित इन्टरप्राईजेज, उदयपुर रोड, बांसवाडा मो.नं. 94615700001
2. श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री रमन जैन जाति जैन निवासी बांसवाडा (फर्म मालिक) अमित इन्टरप्राईजेज, उदयपुर रोड, बांसवाडा मो.नं. 94615700001
3. श्री निकुन्ज डेचिया पुत्र राजकुमार डेचिया, मैसर्स निकुन्ज एजेन्सीज, घन लक्ष्मी मार्केट, ब्लॉक नं. 4, शॉप नं.2 एवं 16 कोट के पास, सागवाडा, डूंगरपुर– 314025
4. नोमिनी – मैसर्स सिग्नेचर फूड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, **Deepak A/2 Plot no.245 Mukhed Road, Pimpal goam (B) Nashik-422209**
5. मैसर्स सिग्नेचर फूड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, **Deepak A/2 Plot no.245 Mukhed Road, Pimpal goam (B) Nashik-422209**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 09–06–2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकान्त शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **08–05–2025** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **09–05–2024** को 4.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स अमित इन्टरप्राईजेज, उदयपुर रोड, बांसवाडा** पर [illegible] स्थान पर श्री मयंक पुत्र रमन जैन उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति** मे [illegible]सर्स अमित इन्टरप्राईजे[illegible]पुर रोड, **बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **Tortilla wraps (Fresh 2 Go)** के 480

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:39:33 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्ण[illegible] अधिकारी
(अ[illegible] मजिस्ट्रेट)
बांसवाडा (राज.)

ग्राम के 30 पैकेट विक्रय हेतु रखे थे। उक्त खाद्य पदार्थ **Tortilla wraps (Fresh 2 Go)** जिसको एफ.एस.एस.ए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का संदेह होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ **Tortilla wraps (Fresh 2 Go) 480 ग्राम के 4 पैकेट** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 280/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **Tortilla wraps (Fresh 2 Go) 480 ग्राम के 4 पैकेट के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1822** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर किया गया। नमूना भागो को अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/249 दिनांक 30–05–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 584 दिनांक 21–05–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय शुदा खाद्य पदार्थ **Tortilla wraps (Fresh 2 Go)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1822** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा नमूने की पुनः जांच हेतु अपील नही की गई है।

अमित इन्टरप्राईजेज, उदयपुर रोड, बांसवाडा को [illegible] फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **Tortilla wraps (Fresh 2 Go)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , विक्रेता ने **मैसर्स निकुन्ज एजेन्सीज,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:39:33 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

घन लक्ष्मी मार्केट, ब्लॉक नं. 4, शॉप नं.2 एवं 16 कोट के पास, सागवाडा, डूंगरपुर का बिल प्रस्तुत किया। **मैसर्स निकुन्ज एजेन्सीज, घन लक्ष्मी मार्केट, ब्लॉक नं. 4, शॉप नं.2 एवं 16 कोट के पास, सागवाडा, डूंगरपुर** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **Tortilla wraps (Fresh 2 Go)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , विक्रेता ने **मैसर्स सिग्नेचर फूड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, Deepak A/2 Plot no.245 Mukhed Road, Pimpal goam (B) Nashik** का बिल प्रस्तुत किया। **मैसर्स सिग्नेचर फूड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, Deepak A/2 Plot no.245 Mukhed Road, Pimpal goam (B) Nashik** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं उक्त खाद्य पदार्थ **Tortilla wraps (Fresh 2 Go)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है तो अग्रीम माल बिल खरीद की सूचना के लिये पत्र लिखा , विक्रेता ने बिल प्रस्तुत नही किया है। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **Tortilla wraps (Fresh 2 Go)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 08–05–2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 09–06–2025 को अप्रार्थी सं. 1 से 3 स्वयं ने व 4, 5 की ओर से अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही कर राहत दिलाने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/249 दिनांक 30–05–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 584 दिनांक 21–05–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय शुदा खाद्य पदार्थ **Tortilla wraps (Fresh 2 Go)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1822** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होता हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:39:33 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया खाद्य पदार्थ **Tortilla wraps (Fresh 2 Go)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थीगणो **श्री मयंक जैन पुत्र श्री रमन जैन जाति जैन निवासी बांसवाडा (विक्रेता), श्री अमित कुमार जैन पुत्र श्री रमन जैन जाति जैन निवासी बांसवाडा (फर्म मालिक) अमित इन्टरप्राईजेज, उदयपुर रोड, बांसवाडा को रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रुपया मात्र), श्री निकुन्ज डेचिया पुत्र राजकुमार डेचिया, मैसर्स निकुन्ज एजेन्सीज, घन लक्ष्मी मार्केट, ब्लॉक नं. 4, शॉप नं. 2 एवं 16 कोट के पास, सागवाडा, डूंगरपुर को रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रुपया मात्र), नोमिनी, मैसर्स सिग्नेचर फूड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, Deepak A/2 Plot no.245 Mukhed Road, Pimpal goam (B) Nashik को रूपये 70,000/– (अक्षरे सत्तर हजार रुपया मात्र) से दण्डित** कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 09–06–2025 खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राज.)

(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Goyal
Date: 2025.07.18 10:39:33 IST
Reason: SelfAttested